



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (विधि, आर.टी.आई. एवं बैठक सैल)

क्रमांक :- वमखुविवि / कुस(विधि) / 14 / 3188

दिनांक 01/07/2014

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत विश्वविद्यालय में लोक सूचना अधिकारी कुलसचिव होंगे, तथा विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्राप्त समस्त आरटीआई आवेदन पत्र विधि प्रकोष्ठ, कुलसचिव कार्यालय द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे एवं कुलसचिव द्वारा ही विश्वविद्यालय की ओर से लोक सूचना अधिकारी के रूप में सूचनाएं जारी की जाएंगी।

अतः विश्वविद्यालय मुख्यालय पर स्थित समस्त ईकाई अध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि इस अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली समस्त सूचनाएं सीधे आवेदक को ना भेज कर मूल रिकार्ड / सूचना के साथ कुलसचिव (लोक सूचना अधिकारी) कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करें।

sd

प्रो०(डॉ०) विनय कुमार पाठक
कुलपति

क्रमांक:- वमखुविवि / कुस(विधि प्रकोष्ठ) / 2014 / 3188-221

दिनांक 01/07/2014

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, वमखुविवि, कोटा।
2. वित्त अधिकारी, वमखुविवि, कोटा।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र) वमखुवि-----
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


कुलसचिव